तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./7240/2006/जोधपुर मदनलाल बनाम गौतमचन्द	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

–आदेश–

दिनांकः– 02–12–2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव दवे उपस्थित। अप्रार्थी संख्या– 1 ता 26 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या– 27 यशवंत भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी हाल निवासी A–189 शास्त्री नगर जोधपुर का नाम मण्डल हाजा की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–09–2025 के क्रम में लाल स्याही से जोडा गया जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. सिंह उपस्थित। बहस निगरानी पर सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा बउनवानी गौतमचन्द बनाम मदनलाल में पारित आदेश दिनांक 18–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आक्षेपित आदेश के माध्यम से जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा उक्त अपील धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जिला कलक्टर को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से संभागीय आयुक्त, जोधपुर को अग्रिम सुनवाई हेतु प्रेषित की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश वैधानिकता के संबंध में पारित किया गया है। वैधानिकता के संबंध में विधि में सुस्थापित है कि धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील संभागीय आयुक्त के समक्ष ही पोषणीय होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता कारित किया जाना प्रतीत नहीं होने से हस्तगत निगरानी याचिका खारिज किए जाने योग्य है। जहां तक परिसीमा अधिनियम के अनुसरण में सद्भाविकता से किसी दीगर न्यायालय में कोई कार्यवाही की जाती है तो इस आधार पर प्रार्थी परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार भिजवाई जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य